राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

सर्वसाधारण को सूचना

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1533(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के प्रावधानों के तहत् इसके अनुसूची में वर्णित केटेगरी 'बी' प्रकार के परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु अधिसूचना संख्यांक का. आ. 380(अ) दिनांक 04/02/2015 के द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 48वीं बैठक दिनांक 10/08/2015 में यह निर्णय लिया है कि दिनांक 01/09/2015 से टी.ओ.आर. / पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे।

ऑनलाईन आवेदन वेबसाईट **"www.environmentclearance.nic.in"** में **"State Portals"** लिंक पर जाकर **"Chhattisgarh"** चयन करके "**Register(New Proponent)**" पर दी गई आवश्यक जानकारियाँ भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के उपरांत वेबसाईट **"www.environmentclearance.nic.in"** में **"State Portals"** लिंक पर जाकर **"Chhattisgarh"** चयन करके **"Login(Proponent)"** में जाकर रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड इंटर कर आवेदन किया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन करने बाबत् मार्गदर्शन करने के लिये इसके सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) में हेल्पडेस्क की स्थापना भी की गई है। ऑनलाईन आवेदन संबंधी किसी भी स्पष्टीकरण अथवा समस्या के निराकरण हेतु हेल्पडेस्क में श्री राहुल सोनी (मो. न. 8818909766) से संपर्क किया जा सकता है।

सदस्य सचिव